न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण 42/16

दायरा दिनांकः– 23.08.2016

निर्णय दिनांक :– 10.12.2019

उपवन

1. माणकचन्द उम्र 58 साल पुत्र घासी जाति लूहार निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद।
2. पुनियाबाई उम्र 56 साल पत्नि माणकचन्द जाति लूहार निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद।

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद।
2. करन पुत्र रामकिशन जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

ग्राम मुण्डियर में खसरा नं. 23/3 रकबा 4.03 बीघा भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि हाईवे से लगती हुई होकर प्रतिवादीगण ने ढाबा बनाने की नीयत से उस पर 2014 में पत्थर डाल दिये थे। जिस पर प्रतिवादी के विरूद्ध ए.सी.जे.एम. न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया। निर्णय में प्रतिवादीगण को दोषी करार दिया गया।

दिनांक 01.08.2016 को वादीगण विवादित भूमि के समतलीकरण का कार्य कर रहे थे। तो प्रतिवादीगण खेत पर पहुॅच कर लड़ाई झगड़ा करने लगे तथा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने को धमकी देने लगे। वादीगण को विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का खतरा होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी पर कब्जा नहीं करे, उन्हें बेदखल नहीं करे का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादीगण बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य वादी में वादी माणकचन्द के बयान कराकर ए.सी.जे.एम. न्यायालय के निर्णय को प्रति (प्रदर्श–1) एवं जमाबंदी नकल (प्रदर्श–2) प्रदर्श कराई गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अनुसार वे विवादित आराजी के खातेदार है। निर्णय ए.सी.जे.एम. न्यायालय (प्रदर्श–1) से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्व में भी नाजायज दखलन्दाजी करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण, वादीगण को भूमि पर नाजायज कब्जे की कोशिश कर रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना आवश्यक है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, ना किसी ओर से करावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner